प्रेस नोट थाना डौकी जनपद आगरा।

लोन कराने के नाम पर फर्जी कम्पनी बनाकर धोखाधड़ी से महिलाओं के समूह से रुपये हड़पने वाले अभियुक्त को थाना डौकी पुलिस टीम एवं साइबर सेल टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार....

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.07.2021 को वादिया निशा पत्नी नेकराम निवासी बाँस महापत थाना डौकी जनपद आगरा ने थाना डौकी पर तहरीर दी कि दिनांक 03.07.2021 को सोमवीर पुत्र राजवीर सिंह निवासी गाँव डाँबर थाना फतेहपुरा सीकरी जनपद आगरा हमारे मौहल्ले में आया और बताया कि मैं समूह बनाकर महिलाओं के नाम से 50-50 हजार रुपये का लोन करता हूँ। दिनांक 04.07.2021 को सोमवीर गाँव में आया और 12 महिलाओं का समूह बनाया एवं फाइल चार्ज के नाम पर सभी से रुपये 21,674/- खुशबू नाम की महिला के खाते में डलवाये एवं कियारा माइक्रो क्रेडिट कम्पनी के नाम से रशीद दे दी। इसी प्रकार गाँव कछपुरा से 23 महिलाओं का समूह बनाया और सभी महिलाओं से लोन के नाम पर पेटीएम से रुपये जमा करा लिये। हम लोगों द्वारा किराया माइक्रो क्रेडिट कम्पनी की जानकारी करने पर पता चला कि इस नाम की कोई कम्पनी नहीं है एवं अभी तक हम में से किसी भी महिला का लोन नहीं हुआ। सोमवीर उपरोक्त द्वारा धोखाधड़ी करके फर्जी कागज व मुहर बनाकार मुझसे व अन्य गाँव की महिलाओं से रुपये हड़प लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना डौकी पर मु0अ0सं0 172/21 धारा 406/420/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डौकी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 10.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग में व्यस्त थे। इसी दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि ग्राम बासमहापत व कछपुरा की महिलाओं से लोन कराने के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त सोमवीर उपरोक्त कछपुरा बासमहापत मोड पर खड़ा है। यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता हैं।

➢ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुँची। पुलिस टीम को देख उक्त व्यक्ति सकपका गया एवं भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेर-घोट कर एक बारगी देते हुये अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से लोन मंजूर कराने सम्बन्धित कागजात, लोन रसीद, आधार कार्ड, स्टाम्प पैड़, 02 रबर मोहर एवं 01 मोबाइल फोन, 01 बैग जिसमें 01 अदद लैपटॉप व चार्जर बरामद हुए।

➢ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. सोनवीर पुत्र राजवीर सिंह निवासी डाँवर थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।

➢ बरामदगी का विवरण:-

01 अदद मोबाइल।

02. 01 बैग जिसमें 01 अदद लैपटॉप व चार्जर।

03. लोन सम्बन्धी कागजात।

04. लोन रसीद।

05. आधार कार्ड।

06. स्टाम्प पैड़।

07. 02 रबर मोहर।

➢ आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 172/2021 धारा 406/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

➢ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।

02. उ0नि0 श्री सुल्तान सिंह प्रभारी साइबर सेल जनपद आगरा।

03. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।

04. उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।

05. उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना अछनेरा जनपद आगरा।

06. है0कां0 प्रेवेन्द्र सिंह, है0कां0 संजय कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।

07. है0कां0 जितेन्द्र कुमार, कां0 विजय सिंह, कां0 प्रेम नारायण साइबर सेल जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।